विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। –हरिऔध

संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं की गिरती साख

भारत में कई ऐसी संस्थाएं और ऐसे पद हैं जिन्हें संवैधानिक अथवा वैधानिक कहा जाता है। इन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार हटा नहीं सकती है। इन पदों पर आसीन व्यक्तियों से अपेक्षा होती है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ, दल, जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत और भाषा से ऊपर उठकर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने निर्णय देंगे ताकि नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी प्रकार कई वैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जा सकता है। यह सुरक्षा इसीलिए प्रदान की गई कि वे किसी राजनीतिज्ञ अथवा अन्य वर्ग के दबाव में आकर कोई काम न करें एवं सारे निर्णय कानून तथा संविधान के अनुसार लें।

ऐसी संस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, सेबी, लोकपाल आदि शामिल हैं। इनमें से कई पदों पर नियुक्तियां हालांकि कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं, किंतु उन्हें हटाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित की गई है, जिसका पालन किए बिना मनमाने तौर पर कार्यपालिका, किसी को अपने पद से नहीं हटा सकती है। इसी संवैधानिक/वैधानिक सुरक्षा का प्रयोग करते हुए टी एन शेषन जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्थापित किया। उन्होंने सत्ताधारी नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने उन लोगों के विरुद्ध भी निर्णय दिए जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था।

संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति सरकार द्वारा कानून के माध्यम से बनाई जाएगी। लगभग 70 सालों तक भी सरकार ने इससे संबंधित कानून नहीं बनाया और सरकारों के द्वारा मनमाने तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती रही। जब इस प्रकार नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्तों द्वारा सत्ताधारी दल के पक्ष में कार्यवाही होनी प्रारंभ हुई तो यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में गया ।सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा यह व्यवस्था दी कि जब तक सरकार इस बारे में कोई कानून न बनाए, तब तक प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त के लिए चयन करेगी। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया, तत्काल, सरकार ने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर, पारित करा लिया जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री तथा विपक्ष के नेता की एक समिति बना दी गई । इस समिति में दो सदस्य सरकार के थे, अतः निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होना था और ऐसा ही होने भी लगा। विपक्ष के नेता द्वारा इस बारे में आपत्तियां भी की गईं किंतु इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । अब इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है। इसी बीच , सरकार ने अपनी समिति के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी है।

सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था तब तक तो ठीक चलती रही जब तक कार्यपालिका ने अनावश्यक रूप से चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दिया और चुनाव आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सत्ताधारी दल और अन्य राजनीतिक दलों में कोई भेदभाव किए बिना निर्वाचन संबंधी कानून की पालना करवाते रहे। गत कुछ वर्षों से यह देखा गया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करवाते समय चुनाव आयोग के द्वारा सरकार के नेताओं के प्रति एवं विपक्ष के नेताओं के प्रति अलग-अलग प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया। जहां एक ओर आदर्श आचार संहिता के छोटे मोटे उल्लंघन पर विपक्ष के नेताओं पर कड़ी कार्यवाही की गई, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा बार-बार इसका गंभीर उल्लंघन होने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह की प्रवृत्ति को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति का सदस्य बनाया था।

पर्याप्त सेवा सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति, सरकार के दबाव में काम करने लगे हैं। इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में सामने आया जब सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने सरकार के दबाव में कार्य किया और बदले में सरकार ने भी उन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेबी अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई आरोप लगे जिनके प्रथमद्रष्टया सही होने के बावजूद न तो माधवी बुच ने इस्तीफा दिया न ही सरकार ने उन्हें पद से हटाया। इससे, इस महत्वपूर्ण पद की साख को गिराने का ही काम हुआ।

> **संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई अधिकारी और व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसको देखकर तो यही कहावत लागू होती है ''जब बाड़ ही खेत को खाए, तो उसे कौन बचाए?''**

इसी प्रकार नोट बंदी जैसा दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय भी बिना रिज़र्व बैंक की पूर्व सहमति से लिया गया। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी पसंद के लोगों को बिठाकर केंद्र सरकार ने उनके माध्यम से विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने का काम किया।

संस्थाओं का दुरुपयोग अपने पक्ष में करने के लिए एवं विपक्ष के नेताओं को विभिन्न कानूनी प्रकरणों में उलझाने के दृष्टि से सी बी आई, ई डी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग बहुत बढ़ा है। यू पी ए शासन काल में सर्वोच्च न्यायालय ने सी बी आई को 'पिंजरे में बंद तोते' की संज्ञा दी और कहा कि यह सरकार की ही भाषा बोलता है। एक बार न्यायिक प्रक्रिया में उलझने के बाद सालों तक मामला लंबित रहता है, जिसके कारण सत्ताधारी दल के नेताओं को, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाने और उसका चुनावी लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, सत्ता पक्ष की हां में हां मिलाने वाले व्यक्तियों की होने लगीं। संदिग्ध सत्य निष्ठा वाले व्यक्ति भी इनमें नियुक्त होने लगे। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले। एन टी ए का उदाहरण हमारे सामने है जिसके अध्यक्ष के कारण सरकार को नीट पेपर लीक प्रकरण में बहुत बदनामी झेलनी पड़ी थी।

यह समझ से परे हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं निष्पक्ष और निर्भीक रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है? उन्हें किस बात का डर है? संभवतया, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। यही कारण है कि वे सरकार की इच्छा अनुसार कार्य करने का रास्ता अपना लेते हैं। इस प्रकार के प्रलोभन से कोई नहीं बच पाया है, चाहे वे न्यायाधीश हों अथवा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अन्य व्यक्ति। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम एस गिल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा, आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें अपने संवैधानिक पदों से निवृत होते ही उन्हें राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य अथवा किसी आयोग के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया। यह मांग कई बार उठती रही है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 2 वर्ष तक किसी भी ऐसे पद पर नहीं नियुक्त किया जाए जहां पर नियुक्तियां कार्यपालिका के द्वारा की जाती हैं।

एक समय था जब सरकारी पदों पर कार्यरत अधिकारी भी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की अनुचित बात को मानने से इनकार करने का साहस रखते थे। उनसे यही अपेक्षा भी होती थी। उनके द्वारा दी गई विधि और संविधान सम्मत जनहित कारी सलाह का सम्मान भी जनप्रतिनिधि करते थे। उस समय, राजनीति में 'राजनीतिज्ञ' कम और 'राजनेता' अधिक होते थे। आजकल तो कोई भी अनुचित आदेश मानने से मना करने पर तत्काल उच्च अधिकारियों तक का तबादला कर दिया जाता है। अधिकारी भी अपने मेरु दंड को सीधा रखने के स्थान पर उल्टे-सीधे कार्यों को करने में ही अपनी भलाई समझने लगे हैं।

राजनीतिज्ञों की तो अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनाव जीतने के लिए कई बार गलत निर्णय लेने हेतु अधिकारियों को कहने की मजबूरी हो सकती है, किंतु अधिकारियों से तो यही अपेक्षा रहती ही है कि वे विधि सम्मत कार्य ही करेंगे। कुछ दशक पूर्व तक ऐसे अधिकारी पसंद किए जाते थे जो अपनी बात सही और स्पष्ट रूप से मंत्रियों के समक्ष रख सकें । जनप्रतिनिधि भी उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का आदर करते थे। आजकल, ऐसे मंत्री और अधिकारी विरले ही हैं। जैसा कि इसी स्तंभ में मैंने पहले भी एकाधिक बार लिखा है, संविधान के अनुसार, देश में सर्वोच्च सत्ता तो नागरिक की है और उसी के हित की पूर्ति के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रावधान किया गया है, किंतु आजकल देखने में यह आ रहा है कि सबसे पहले उसी के अधिकार और हित की बलि चढ़ाई जा रही है ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की योग्यता में कोई कमी नहीं है । वे लाखों व्यक्तियों में से कठिन परीक्षा के माध्यम से चुनकर आते हैं, किंतु उन्हें मिली सेवा सुरक्षा के बावजूद, यदि वे सभी प्रकार के अनुचित आदेशों की पालना करके अपने पद की साख को कम ही करते हैं। संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई अधिकारी और व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसको देखकर तो यही कहावत लागू होती है ''जब बाड़ ही खेत को खाए, तो उसे कौन बचाए?''

सभी भ्रष्ट व्यक्तियों को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए चाहे फिर वे न्यायपालिका से ही क्यों न हों। कोई व्यक्ति केवल न्यायाधीश होने मात्र से अनिवार्य रूप से ईमानदार नहीं हो जाता। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए?

कुल मिलाकर, यही कह सकते हैं कि संवैधानिक और महत्वपूर्ण वैधानिक पदों की साख बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी तो इन पदों पर बैठे व्यक्तियों की ही है। यह तब ही सुनिश्चित हो सकता है जब इन पर नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ, श्रेष्ठ, योग्य और निष्पक्ष व्यक्तियों की हो। महत्वपूर्ण संस्थाओं का क्षरण लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेंद्र भाणावत,
पूर्व आई ए एस, उपाध्यक्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, राजस्थान चैप्टर

प्रदेश में खेल सुविधाओं पर है सरकार की बारीक नजर

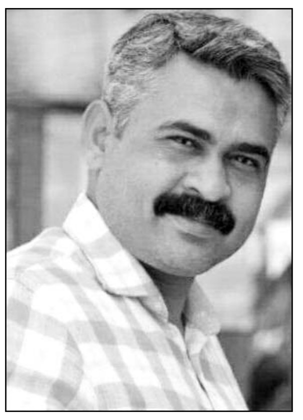

गौरीकांत शर्मा

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर यात्रा के दौरान एशियाई रजत पदक विजेता लेक्रोस खिलाडियों का उत्साहवर्धन करते हुए ।

उदयपुर। राज्य सरकार ने अपने बजट में उदयपुर में लेक्रोस खेल के संवर्द्धन हेतु अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। लेक्रोस मूलतः अमेरीकी खेल है। यूं तो अमेरीका का उदयपुर से कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन अमरीकी खेल लेक्रोस में उदयपुर के खिलाडियों ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेल जगत का ध्यान खींचा है। क्षेत्र विशेष में खेल विशेष की संभावनाओं को तलाशकर उसके अनुरूप योजना बनाने की राज्य सरकार गहन दृष्टि का ही परिणाम है कि सरकार ने उदयपुर को इस खेल के लिए उपजाऊ मानते हुए अकादमी की स्थापना की घोषणा हाल ही में अपने बजट में की। खेल सुविधाओं के विस्तार पर सरकार की इस बारीक नजर का जबरदस्त स्वागत हुआ है। सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2028 में लॉस एंजिल्स में आयोज्य ओलम्पिक में लेक्रोस भी शामिल है।

उदयपुर में लेक्रोस अकादमी खुलने से नई पीढी को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ उचित मानक के इक्यूपमेंट, डाइट एवं प्रतियोगिता अनुरूप सुविधाएं भी मुहैया होंगी जिससे खिलाडियों को इस खेल में अपने कौशल को सुधारते हुए उत्तरोत्तर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। जनजाति बहुल मेवाड अंचल ने देश को लेक्रोस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सात महिला व तीन पुरूष खिलाडी दिए हैं। स्थानीय प्रशिक्षक नीरज बत्रा द्वारा प्रशिक्षित सुनीता मीणा, डाली गमेती, मीरा दौजा, जुला कुमारी गुर्जर, विशाखा मेघवाल, हेमलता डांगी महिला वर्ग में और मोहनलाल गमेती, खुमाराम गमेती एवं प्रणय त्रिपाठी पुरूष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। महिला टीम ने उजबेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई एशियाई प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में कप्तान सुनीता मीणा 22 गोल करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही। तीनों पुरुष खिलाडी इन दिनों जापान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उदयपुर में हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सफल मेजबानी की। इसमें भी उदयपुर के खिलाडियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर राजस्थान ने सीनियर वर्ग की महिला व पुरुष दोनों वर्गों के स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सब जूनियर वर्ग में बालक व बालिका दोनों ही टीम ने रजत पदक जीता। इससे पूर्व फेडरेशन कप में भी राजस्थान की पुरुष व महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीत वर्चस्व स्थापित किया। अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम राष्ट्रीय जुनियर प्रतियोगिता की बालक व बालिका टीम ने स्वर्ण एवं दूसरी राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में बालिका टीम ने स्वर्ण तथा बालकों ने कांस्य पदक जीता था। राजस्थान ने विभिन्न वर्गों की अब तक हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 14 स्पर्धाओं में से आठ में स्वर्ण, दो में रजत तथा एक कांस्य पदक जीत कर देशभर में इस खेल में अपना झंडा बुलंद किया है। राजस्थान टीम में अधिकांशतः खिलाडी उदयपुर के जनजाति क्षेत्र के खिलाडी हैं । राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अपनी मानगढ यात्रा के दौरान भारतीय लेक्रोस टीम की महिला खिलाडियों की उपलब्धियां को सराहा एवं कप्तान सुनीता मीणा को प्रथम आदि गौरव खेल रत्न से नवाजा। राज्यपाल ने भी राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सुनीता को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में एशियाई रजत पदक विजेता लेक्रोस खिलाडियों से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियां को सराहते हुए प्रोत्साहित किया। साथ ही बांसवाडा में लेक्रोस के जनजाति खिलाडी डाली गमेती व मोहनलाल गमेती को सम्मानित किया। बजट में अकादमी की घोषणा से लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 को लेकर स्थानीय प्रतिभाओं में एक उम्मीद की किरण के साथ नये उत्साह का संचार हुआ है। राज्य सरकार की इस बजट घोषणा का लेक्रोस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजस्थान लेक्रोस संघ, उदयपुर लेक्रोस संघ के पदाधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों, प्रशिक्षक सहित खेलप्रेमियों ने स्वागत किया है। सभी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराडी, मेवाड क्षेत्र के सांसद, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, वनवासी कल्याण परिषद व संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी का आभार व्यक्त किया है।

-गौरीकांत शर्मा
उप निदेशक, सूचना एवं
जनसम्पर्क विभाग, उदयपुर

कोटा मंडल होकर संचालित 10 जोड़ी गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा

कोटा, (निसं)। रेलवे द्वारा आगामी त्यौहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु कोटा मंडल होकर जाने वाली 10 जोड़ी गाड़ियों में विभिन्न श्रेणी के अस्थाई कोच की बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 19608/19607, मदार-कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में मदार से दिनांक 03.03.25 से 31.03.25 तक एवं कोलकाता से दिनांक 06.03.25 से 03.04.25 तक 01 सैकण्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है।

गाड़ी संख्या 12465/12466, इंदौर-भगत की कोठी-इंदौर एक्सप्रेस में इंदौर से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक एवं भगत की कोठी से दिनांक 03.03.25 से 02.04.25 तक 03 द्वितीय शयनयान कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14854/14853, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14864/14863, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14866/14865, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 12988/12987, अजमेर-सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस में अजमेर से दिनांक 01.03.25 से 15.03.25 तक सियालदह से दिनांक 02.03.25 से 16.03.25 तक 01 थर्ड एसी इकोनोमी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 09621/09622, अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल में अजमेर से दिनांक 02.03.25 से 30.03.25 तक एवं बान्द्रा टर्मिनस से दिनांक 03.03.25 से 31.03.25 तक 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 09627/09628, अजमेर-सोलापुर-अजमेर स्पेशल में अजमेर से दिनांक 05.03.25 से 26.03.25 तक एवं सोलापुर से दिनांक 06.03.25 से 27.03.25 तक 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 20481/20482, भगत की कोठी-तिरूच्चिराप्पल्लि-भगत की कोठी एक्सप्रेस एक्सप्रेस में भगत की कोठी से दिनांक 05.03.25 से 26.03.25 तक एवं तिरूच्चिराप्पल्लि से दिनांक 08.03.25 से 29.03.25 तक 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 19715/19716, जयपुर-गोमतीनगर (लखनऊ)-जयपुर एक्सप्रेस में जयपुर से दिनांक 02.03.25 से 18.03.25 तक एवं गोमतीनगर से दिनांक 03.03.25 से 19.03.25 तक 01 थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोत्तरी की जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थाई रूप से अतिरिक्त कोचों को लगाया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन में अतिरिक्त कोच की जानकारी स्टेशनों, रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें।

स्काउट गाइड समारोह में मेहमानों को तिलक लगा स्वागत किया

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय पाली के तत्वावधान में आयोजित हो रही पांच दिवसीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली के चतुर्थ दिवस के आयोजन में पाली के पूर्व जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि पाली की रोहट जम्बूरी के कारण मै स्काउट गाइड के नजदीक आ गया और इसको समझ पाया। उन्होंने कहा कि करीब एक साल तक जम्बूरी के निमित्त कार्य करने के दौरान जिला मुख्यालय का और जिला प्रशासन का अच्छा तालमेल रहा जिसके लिए आज भी प्रशंसा की जा रही है।

सी ओ स्काउट गोविन्द मीना ने बताया कि इस अवसर पर नमित मेहता के जन्म दिवस पर सभी स्काउट गाइड की तरफ से केक काट कर शुभकामनाएं दी। सी ओ गाइड डिम्पल दवे ने बताया कि आज प्रातः काल ध्वजारोहण कार्यकम में मुख्य अतिथि बसंत परिहार प्रधानाचार्य प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर पाली स्थानीय संघ एवं विशिष्ट अतिथि भावना शेखावत प्रधानाचार्य मां आशापुरा माध्यमिक विद्यालय,नारायण सिंह राजपुरोहित डायरेक्टर सूरज शिक्षण संस्थान, धीरज भार्गव प्रधानाचार्य महोदय एम एस कवाड़ इंटरनेशनल स्कूल पाली, कल्याण सिंह राठौड़ डायरेक्टर कात्यायनी उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली विद्यालय पाली, श्रीमती ममता शर्मा प्रधानाचार्य सेंट जेवियर स्कूल बतौर उपस्थित रहे, मेहमानों को तिलक लगाकर स्वागत एवं गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा सम्मान दिया गया इसके पश्चात ध्वजारोहण कार्यक्रम में मार्च पास्ट की टुकड़ी ने सलामी दी। जिला रैली में भाग ले रहे बालचरों द्वारा एडवेंचर एवं फन बेस में विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। एडवेंचर बेस में मंकी ब्रिज, टायर वाल, कमांडो ब्रिज, टायर टनल, आर्चरी, टायर चिमनी, गन शूटिन, हॉरिजॉन्टल झूला, रोप क्लाइंबिंग, मंकी ब्रिज, तिलक लगाना, टचिंग प्वाइंट, बाल्टी में सिक्का डालना, डिब्बे गिराना, फन बेस, , रिंग फसाना, , टच पॉइंट एवं क्लाइम्ब वॉल आदि का आनन्द लिया। स्काउट गाइड के लिए क्लाइंबिंग वॉल सबसे आकर्षण का केंद्र रहा, दिन भर क्लाइंबिंग वॉल की गतिविधि करने के लिए स्काउट गाइड लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार उत्सुकता से करते नजर आए। दोपहर को हुए झांकी प्रदर्शन कार्यक्रम में सहायक राज्य संगठन आयुक्त बाबुसिंह राजपुरोहित, उप निदेशक शिक्षा विभाग प्रकाश चंद सिंघाड़िया, सोजत सिटी स्थानीय संघ प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर भगवान सिंह सिंगाड़िया, रानी एडीसी कानाराम, डां नरेंद्र वैष्णव, मोहन लाल भाटी एवं मनोज बोराणा, सूजाराम चौधरी आदि के सानिध्य में स्थानीय संघवार झांकी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें पाली के विभिन्न अंचलों की संस्कृति से सम्बन्धित झांकिया देखने को मिली। इस प्रतियोगिता में पुरषोत्तम पुरी, रमेश सोलंकी, प्रभु प्रजापत एवं वजाराम राणा ने सहयोग किया। इसके बाद क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें स्काउट गाइड से सम्बन्धित प्रश्नो के उत्तर पूछे गए एवं विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए, इस प्रतियोगिता हर राउंड में रोचकता देखने योग्य थी। प्रतियोगिता में मनोज बोराणा, बलवीर पारगी, जयपाल सिंह, यजुवेंद्र खेमलानी, मुकेश गग्गड़ एवं रमेश कुमार भाटी ने सहयोग किया गया।

जेईई-मेन 2025 : कैटेगरी में हो सकेगा बदलाव

- **27-28 फरवरी के मध्य होंगे करेक्शन**
- **इतिहास में सर्वाधिक अब तक 16 लाख से अधिक आवेदन**

कोटा, (निसं)। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन में अब तक 16 लाख से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, जो कि इतिहास में आवेदन करने वालों में सर्वाधिक है। जेईई-मेन जनवरी में 13 लाख 78 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किया एवं 2 लाख 30 हजार से अधिक नए यूनीक कैंडिडेट अब तक अप्रैल परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं।

अप्रैल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 12 लाख से अधिक होगी। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर एनटीए द्वारा स्टूडेंट के हित में अंतिम करेक्शन का विकल्प देने की घोषणा की है। इसके लिए जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार स्टूडेंट्स करेक्शन के दौरान कोर्स, मीडिया ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्टेट कोड ऑफ इलेजिब्लिटी, परीक्षा शहर, दसवीं व 12वीं की क्वालीफिकेशन डिटेल, जेंडर, कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन का अवसर 27 व 28 फरवरी को मिलेगा। एनटीए के इस करेक्शन विकल्प से देश के उन लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, जिन्होंने जनवरी जेईई-मेन के दौरान कैटेगरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण ओपन कैटेगरी से आवेदन कर दिया था और अब कैटेगरी दस्तावेज उपलब्ध होने पर कैटेगरी बदलना चाहते हैं।

साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जिन्होंने पूर्व में कैटेगरी से आवेदन कर दिया और अब ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं होने पर ओपन कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे में देश के इन लाखों विद्यार्थियों को अंतिम कैटेगरी बदलने का विकल्प मिलेगा। क्योंकि आवेदन के दौरान भरी गई कैटेगरी के आधार पर ही जेईई-एडवांस्ड परीक्षा की योग्यता एवं आईआईटी, एनआईटी में आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। इसलिए स्टूडेंट्स को कैटेगरी बदलने से पूर्व पूर्णतः सोच-विचार करना चाहिए।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 25 फरवरी, 2025

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सायं 6:31 तक, व्यतिपात योग प्रातः 8:15 तक, तैतिल करण दिन 12:48 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 12:48 तक है। आज बुध उदय पश्चिम दिन 1:57 पर होगा। आज व्यतिपात पुण्यं, सोम प्रदोष व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:49 से 11:15 तक, लाभ-अमृत 11:15 से 2:05 तक, शुभ 3:31 से 4:56 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:59, सूर्यास्त 6:21

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

सिंह
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

तुला
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।